

16.11.21
अज अदालत

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत गोमपुरा

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

अमरचन् बनाम सरकार

किसम मुकदमा 136 एल आर एक्ट जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / नम्बर 342 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जॉ इस हुकम की तामील में जारी किए
16.11.2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/905 दिनांक <u>16.11.21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>गोमपुरा</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>अमरचन्</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2015</u> के खाता सं. <u>03</u> में</p> <p><u>अमरचन् S/O रामलाल</u></p> <p>के स्थान पर <u>अमरचन् S/O रामराम</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>अमरचन्</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2015</u> के खाता सं. <u>03</u> में</p> <p><u>अमरचन् S/O रामलाल</u></p> <p>के स्थान पर <u>अमरचन् S/O रामराम</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उप-उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

